रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 220] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 1975/श्रावण 16, 1897

No. 220] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 1975/SRAVANA 16, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August 1975

G.S.R. 438(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with clause (c) of sub-section (1), of Section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), and sub-rules (3) and (4) of rule 3 of the Food Corporations Rules, 1965, the Central Government hereby reappoints Shri S. R. Kaiwar to be director on the Board of Directors of the Food Corporation of India for a term of two years with effect from the 1st July, 1975.

[No. F. 4-1/73-FC-I]

L. C. GUPTA, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1975

सा० का० नि० 438 (अ).—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के साथ पठित उपधारा (2) और खाद्य निगम नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० आर० केवर को पहली जुलाई, 1975 से दो वर्ष की अवधि के लिए भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड में निदेशक पुनः नियुक्त करती है।

[सं० फा० 4-1/73-एफ० सी०-1]

एल० सी० गुप्त, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975